



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्राकः- ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2021 / 13160

दिनांक 29 जुलाई, 2021


सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव,
SHRI JAGANNATH JI EDUCATIONAL TRUST,
GHAZIABAD

विषय: शैक्षिक सत्र 2021-22 से फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु नवीन संस्थान प्रारम्भ किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की कंसेन्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यदि आप द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 से संस्थान JAGANNATH COLLEGE OF PHARMACY, GHAZIABAD के नाम से फार्मैसी विधा में नवीन संस्थान प्रारम्भ किया जाता है तो विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु संस्थान को नियामक संगठन फार्मैसी काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानक तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के समय निर्धारित मानक एवं शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा।


(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव



उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1367(11)/सोलह-1-2021-13(01)/2018
लखनऊ : दिनांक : 27 जुलाई, 2021

अनापत्ति

श्री जगन्नाथ जी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान जगन्नाथ कालेज ऑफ फार्मेसी, गाजियाबाद को शैक्षिक सत्र 2021-22 में बी0फार्मा0 का नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्थान, नियामक संगठन यथा-फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

(कुलदीप बाबू)
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. सचिव, सम्बंधित सोसाइटी/ट्रस्ट/समिति।
4. निदेशक/प्राचार्य, सम्बंधित संस्थान।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
उप सचिव

